

भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 726

जिसका उत्तर 04.12.2025 को दिया जाना है

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र के बगैर वाहनों पर जुर्माना

726. श्रीमती माला राय:

श्री यूसुफ पठान:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण-पत्र न होने के कारण कितने वाहनों पर जुर्माना लगाया गया तथा उनसे राज्य-वार कितनी राशि वसूल की गई है;

(ख) वर्ष 2014 से अब तक बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण-पत्र वाले सरकारी वाहनों की संख्या वर्ष-वार और मंत्रालय-वार कितनी है; और

(ग) वर्ष 2014 से अब तक उक्त जुर्माने से राज्य-वार, मंत्रालय-वार और वर्ष-वार कितनी राशि वसूल की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र न होने के कारण दंडित किए गए वाहनों की संख्या तथा उनसे वसूल की गई दंड राशि का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

| राज्य                        | वर्ष | दंडित वाहनों की संख्या | वसूले गए जुर्माने की रकम ( रु.) |
|------------------------------|------|------------------------|---------------------------------|
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 2024 | 50                     | 97000                           |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 2025 | 4989                   | 3014500                         |
| अरुणाचल प्रदेश               | 2024 | 24                     | 55500                           |
| अरुणाचल प्रदेश               | 2025 | 38                     | 20000                           |
| असम                          | 2021 | 537                    | 7080200                         |
| असम                          | 2022 | 2410                   | 17213900                        |
| असम                          | 2023 | 3558                   | 14685925                        |
| असम                          | 2024 | 3235                   | 7494625                         |
| असम                          | 2025 | 3064                   | 4741775                         |
| दिल्ली                       | 2021 | 121146                 | 131660418                       |
| दिल्ली                       | 2022 | 164380                 | 191460278                       |
| दिल्ली                       | 2023 | 231966                 | 233955884                       |
| दिल्ली                       | 2024 | 598131                 | 180681310                       |
| दिल्ली                       | 2025 | 786126                 | 42314974                        |
| गुजरात                       | 2021 | 1                      | 0                               |
| गुजरात                       | 2024 | 1                      | 0                               |

|                 |      |        |           |
|-----------------|------|--------|-----------|
| हरियाणा         | 2021 | 2065   | 57223200  |
| हरियाणा         | 2022 | 1219   | 52909700  |
| हरियाणा         | 2023 | 1000   | 39745550  |
| हरियाणा         | 2024 | 7284   | 58359240  |
| हरियाणा         | 2025 | 3664   | 70425050  |
| झारखंड          | 2021 | 2321   | 3030550   |
| झारखंड          | 2022 | 18053  | 26040160  |
| झारखंड          | 2023 | 35188  | 62788422  |
| झारखंड          | 2024 | 35655  | 40809254  |
| झारखंड          | 2025 | 40732  | 30800618  |
| जम्मू और कश्मीर | 2021 | 98     | 83000     |
| जम्मू और कश्मीर | 2022 | 527    | 231700    |
| जम्मू और कश्मीर | 2023 | 747    | 487550    |
| जम्मू और कश्मीर | 2024 | 4715   | 3942740   |
| जम्मू और कश्मीर | 2025 | 7520   | 4764750   |
| केरल            | 2021 | 123211 | 32655550  |
| केरल            | 2022 | 545785 | 140787655 |
| केरल            | 2023 | 780265 | 188318604 |
| केरल            | 2024 | 399562 | 98131776  |
| केरल            | 2025 | 379456 | 83504366  |
| महाराष्ट्र      | 2022 | 31     | 14500     |
| महाराष्ट्र      | 2023 | 336    | 96100     |
| महाराष्ट्र      | 2024 | 808    | 161950    |
| महाराष्ट्र      | 2025 | 628    | 140700    |
| पंजाब           | 2021 | 824    | 3811600   |
| पंजाब           | 2022 | 202    | 575700    |
| पंजाब           | 2023 | 198    | 680500    |
| पंजाब           | 2024 | 4786   | 47122300  |
| पंजाब           | 2025 | 16305  | 84160801  |
| राजस्थान        | 2021 | 52819  | 243498629 |
| राजस्थान        | 2022 | 47892  | 169261904 |
| राजस्थान        | 2023 | 28437  | 200225523 |
| राजस्थान        | 2024 | 59521  | 178986755 |
| राजस्थान        | 2025 | 528966 | 227387839 |
| सिक्किम         | 2021 | 1      | 76100     |
| सिक्किम         | 2022 | 6      | 73600     |
| सिक्किम         | 2023 | 6      | 10600     |
| सिक्किम         | 2024 | 35     | 59500     |
| सिक्किम         | 2025 | 37     | 10000     |
| तमिलनाडु        | 2021 | 54     | 73200     |
| तमिलनाडु        | 2022 | 921    | 1339500   |
| तमिलनाडु        | 2023 | 6684   | 11210500  |

|              |      |         |            |
|--------------|------|---------|------------|
| तमिलनाडु     | 2024 | 12183   | 18638100   |
| तमिलनाडु     | 2025 | 13659   | 20296100   |
| उत्तराखंड    | 2021 | 20      | 93000      |
| उत्तराखंड    | 2022 | 6       | 25100      |
| उत्तराखंड    | 2023 | 4       | 37000      |
| उत्तराखंड    | 2024 | 51      | 83600      |
| उत्तराखंड    | 2025 | 296     | 128700     |
| उत्तर प्रदेश | 2021 | 53828   | 32308312   |
| उत्तर प्रदेश | 2022 | 62778   | 35605490   |
| उत्तर प्रदेश | 2023 | 108847  | 44448295   |
| उत्तर प्रदेश | 2024 | 126742  | 29356667   |
| उत्तर प्रदेश | 2025 | 162681  | 28869314   |
| पश्चिम बंगाल | 2021 | 14      | 7000       |
| पश्चिम बंगाल | 2022 | 9118    | 10789500   |
| पश्चिम बंगाल | 2023 | 27742   | 26673240   |
| पश्चिम बंगाल | 2024 | 43108   | 26368620   |
| पश्चिम बंगाल | 2025 | 61727   | 22990430   |
| कुल          |      | 5741024 | 3295211993 |

(ख) बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण-पत्र वाले सरकारी वाहनों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

| वर्ष           | सरकारी वाहनों की संख्या |
|----------------|-------------------------|
| 2018           | 1                       |
| 2019           | 36                      |
| 2020           | 17                      |
| 2021           | 26                      |
| 2022           | 34                      |
| 2023           | 34                      |
| 2024           | 66                      |
| 2025           | 105                     |
| <b>कुल योग</b> | <b>319</b>              |

(ग) उक्त दण्डों से वसूल की गई जुर्माने की राशि राज्य-वार और वर्ष-वार निम्नानुसार है :

| राज्य           | वर्ष | वसूले गए जुर्माने की रकम ( रु.) |
|-----------------|------|---------------------------------|
| असम             | 2025 | 0                               |
| दिल्ली          | 2019 | 66800                           |
| दिल्ली          | 2020 | 4000                            |
| दिल्ली          | 2021 | 5000                            |
| दिल्ली          | 2022 | 46000                           |
| दिल्ली          | 2023 | 0                               |
| दिल्ली          | 2024 | 21000                           |
| दिल्ली          | 2025 | 0                               |
| हरियाणा         | 2023 | 21000                           |
| हरियाणा         | 2025 | 0                               |
| झारखंड          | 2022 | 0                               |
| झारखंड          | 2024 | 0                               |
| जम्मू और कश्मीर | 2024 | 1000                            |
| केरल            | 2022 | 2000                            |
| केरल            | 2023 | 2000                            |
| केरल            | 2024 | 1500                            |
| पंजाब           | 2018 | 3100                            |
| पंजाब           | 2019 | 1700                            |
| पंजाब           | 2025 | 19000                           |
| राजस्थान        | 2020 | 4000                            |
| राजस्थान        | 2021 | 2000                            |
| राजस्थान        | 2022 | 2000                            |
| राजस्थान        | 2023 | 17500                           |
| राजस्थान        | 2024 | 11400                           |
| राजस्थान        | 2025 | 4000                            |
| तमिलनाडु        | 2024 | 4000                            |
| उत्तर प्रदेश    | 2021 | 2000                            |
| उत्तर प्रदेश    | 2022 | 1500                            |
| उत्तर प्रदेश    | 2023 | 0                               |
| उत्तर प्रदेश    | 2024 | 500                             |
| उत्तर प्रदेश    | 2025 | 0                               |
| पश्चिम बंगाल    | 2022 | 0                               |
| पश्चिम बंगाल    | 2023 | 0                               |
| पश्चिम बंगाल    | 2024 | 0                               |
| पश्चिम बंगाल    | 2025 | 6000                            |
| <b>कुल</b>      |      | <b>249000</b>                   |